कार्यालय– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय–आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17–1(क) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के कार्यालय पत्र संख्या 400683/XXX(2)/2026/ई–26941 दिनांक 01.06.2026 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नाकिंत **पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारियों** का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है:–

क–अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम संस्था से दुर्गम संस्था में)

क्र0 स0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
01	श्रीमती रचना चौहान नेगी	प0चि0, गुजराड़ा–देहरादून	प0चि0, कैम्पटी–टिहरी	**जनहित**
02	श्री भवानी शंकर	प0चि0, सचल–टिहरी	प0चि0, सचल–पौड़ी	**जनहित**

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित **पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारियों** को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ0सं0 863 /स्था0–2/स्थाना0–प0चि0फा0अ0/2026–27 दिनांक 30 जून, 2026

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सम्बन्धित पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी को अनुपालनार्थ।

2– सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।

3– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून/पौड़ी/टिहरी।

4– सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

5– निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

30/6/26
(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

कार्यालय– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय–आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17–1(ग) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के कार्यालय पत्र संख्या 400683/XXX(2)/2026/ई–26941 दिनांक 01.06.2026 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नाकिंत **पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारियों** का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है:–

ग–अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम संस्था से सुगम संस्था में)

क्र0 स0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
01	श्रीमती अनुराधा	प0चि0 सतपुली–पौड़ी	प0चि0, कालसी –देहरादून	**जनहित**
02	श्री पंकज वशिष्ठ	प0चि0, कैम्पटी–टिहरी	प0चि0, श्यामपुर– देहरादून	**जनहित**
03	श्रीमती मनीषा बिष्ट	प0चि0, नैनबाग–टिहरी	प0चि0, राजपुर –देहरादून	**जनहित**

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित **पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारियों** को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ0सं0 862 /स्था0–2/स्थाना0–प0चि0फा0अ0/2026–27 दिनांक 30 जून, 2026

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सम्बन्धित पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी को अनुपालनार्थ।
2– सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
3– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून/पौड़ी/टिहरी।
4– सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
5– निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

30/6/26
(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

कार्यालय– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय–आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17–1(ख) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के कार्यालय पत्र संख्या 400683/XXX(2)/2026/ई–26941 दिनांक 01.06.2026 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नाकिंत **पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारियों** का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है:–

ख–अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से सुगम संस्था)

क्र0 स0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
01	श्री राजेश्वर प्रसाद	प0चि0, राजपुर –देहरादून	प0चि0, गुजराड़ा– देहरादून	**जनहित**
02	श्री रमेश यादव	प0चि0, श्यामपुर –देहरादून	प0चि0, लण्ढौरा –हरिद्वार	**जनहित**
03	श्री विनोद कुमार	प0चि0, खानपुर –हरिद्वार	प0चि0, लक्सर –हरिद्वार	**जनहित**

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित **पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारियों** को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ0सं0 865 /स्था0–2/स्थाना0–प0चि0फा0अ0/2026–27 दिनांक 30 जून, 2026

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सम्बन्धित पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी को अनुपालनार्थ।
2– सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
3– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
4– सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
5– निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

30/6/26
(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

कार्यालय– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय–आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17–1(ख) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के कार्यालय पत्र संख्या 400683/XXX(2)/2026/ई–26941 दिनांक 01.06.2026 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नाकिंत **पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारियों** का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है:–

ख–अनुरोध के अधार पर स्थानान्तरण
(सुगम से सुगम संस्था)

क्र0 स0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
01	श्री कश्मीरी सिंह	प0चि0, कालसी –देहरादून	प0चि0, विकासनगर –देहरादून	**निजी अनुरोध**
02	श्री मुकेश कुमार	प0चि0, दुगड्डा–पौड़ी	प0चि0, भगवानपुर– हरिद्वार	**निजी अनुरोध**
03	श्री विकास चौहान	प0चि0, रायसी–हरिद्वार	प0चि0, खानपुर– हरिद्वार	**निजी अनुरोध**
04	श्री मनोज कुमार	प0चि0, लक्सर–हरिद्वार	प0चि0, रायसी –हरिद्वार	**निजी अनुरोध**

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित **पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारियों** को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ0सं0 864 /स्था0–2/स्थाना0–प0चि0फा0अ0/2026–27 दिनांक 30 जून, 2026

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सम्बन्धित पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी को अनुपालनार्थ।
2– सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
3– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून/पौड़ी/हरिद्वार।
4– सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
5– निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

30/6/26
(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

कार्यालय– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय–आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17–1(ख) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के कार्यालय पत्र संख्या 400683/XXX(2)/2026/ई–26941 दिनांक 01.06.2026 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित **पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी** का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है:–

ख–अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण
(दुर्गम से दुर्गम संस्था)

क्र0 स0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
01	श्री प्रवेन्द्र सिंह	प0चि0, ज्योर्तिमठ–चमोली	प0चि0, नैनबाग –टिहरी	**निजी अनुरोध**
02	श्रीमती अर्चना बेंजवाल	प0चि0, गुप्तकाशी –रूद्रप्रयाग	प0चि0, अगस्तमुनि – रूद्रप्रयाग	**निजी अनुरोध**

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित **पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी** को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ0सं0 861 /स्था0–2/स्थाना0–प0चि0फा0अ0/2026–27 दिनांक 30 जून, 2026

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सम्बन्धित पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी को अनुपालनार्थ।
2– सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
3– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, टिहरी/चमोली/रूद्रप्रयाग
4– सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
5– निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

30/6/26
(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

कार्यालय– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय–आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17–1(क) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के कार्यालय पत्र संख्या 400683/XXX(2)/2026/ई–26941 दिनांक 01.06.2026 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नाकिंत **पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारियों** का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है:–

क–निजी अनुरोध के आधार पर (सुगम संस्था से सुगम संस्था में)

क्र0 स0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
01	श्री हेमन्त कुमार बड़थ्वाल	प0चि0, विकासनगर–देहरादून	प0चि0, दुगड्डा–पौड़ी	**निजी अनुरोध**

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित **पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारियों** को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ0सं0 866 /स्था0–2/स्थाना0–प0चि0फा0अ0/2026–27 दिनांक 30 जून, 2026

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सम्बन्धित पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी को अनुपालनार्थ।
2– सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
3– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
4– सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
5– निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

30/6/26
(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

कार्यालय– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय–आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17–1(ख) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के कार्यालय पत्र संख्या 400683/XXX(2)/2026/ई–26941 दिनांक 01.06.2026 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित **पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारियों** का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है:–

ख–सुगम से सुगम संस्था में स्थानान्तरण

क्र0 स0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
01	श्री पुष्पेन्द्र	प0चि0, भगवानपुर –हरिद्वार	प0चि0, सचल –टिहरी	जनहित

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित **पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारियों** को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ0सं0 867 /स्था0–2/स्थाना0–प0चि0फा0अ0/2026–27 दिनांक 30 जून, 2026

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सम्बन्धित पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी को अनुपालनार्थ।

2– सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।

3– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, टिहरी/हरिद्वार।

4– सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

5– निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

30/6/26
(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

कार्यालय– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय–आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17–1(ख) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के कार्यालय पत्र संख्या 400683/XXX(2)/2026/ई–26941 दिनांक 01.06.2026 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नाकिंत **पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी** का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है:–

ख–प्रशासनिक अधार पर स्थानान्तरण
(दुर्गम से दुर्गम संस्था)

क्र0 स0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
01	श्री विवेक कुमार	प0चि0, गुन्दियाटगांव –उत्तरकाशी	प0चि0, दिचली– उत्तरकाशी	**प्रशासनिक आधार पर**

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित **पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी** को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ0सं0 868 /स्था0–2/स्थाना0–प0चि0फा0अ0/2026–27 दिनांक 30 जून, 2026

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सम्बन्धित पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी को अनुपालनार्थ।

2– सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।

3– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।

4– सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

5– निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

30/6/26
(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।